न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—168/2020/225 (2020/00168)

1. रामधन पुत्र रामदेव उर्फ रामदेवा, जाति बैरवा, निवासी हिगतड़ा, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।
2. पप्पूसिंह पुत्र भोपाल सिंह,
3. गोपाल सिंह पुत्र भोपालसिंह,
   समस्त जाति राजपूत, निवासी हिगतड़ा, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. घीसालाल पुत्र छीतरदास, जाति साधू, निवासी हिगतड़ा, तहसील सरवाड़ जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़ ।

रेस्पोडेंटस

3. समदा कंवर पत्नि भोपालसिंह, जाति राजपूत, निवासी हिगतड़ा, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ दिनांक 2.9.2020 अंतर्गत प्रकरण संख्या 259/2019.

उपस्थितः—

1. श्री मंगलाराम चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री निहालचंद जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 1 ।
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 2.
4. प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 3 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 22.12.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के आदेश दिनांक 2.9.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. रेस्पो0 संख्या 1/प्रार्थी ने अधी0न्याया0 में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर कथन किया कि प्रार्थी ग्राम हिगतड़ा का मूल व स्थायी निवासी है । वादी की कृषि आराजी खसरा नंबर 1017 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम हिगतड़ा, तहसील सरवाड़ में स्थित है । वादी अपनी खातेदारी आराजी पर खसरा नंबर 922 की उत्तरी मेड़ व खसरा नंबर 923 की दक्षिणी मेड़ से बने हुए पुश्तैनी कदीमती रास्ते से अपनी आराजी पर आता जाता है । खसरा नंबर 922 व 923 प्रतिादीगण की कृषि भूमियां है । उक्त रास्ते का उपयोग वादी निरन्तर करता चला आ रहा है । इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है किन्तु अप्रार्थीगण ने अनाधिकृत तरीके से उक्त रास्ते की भूमि खसरा नंबर 922 व 923 पर बने हुए कदीमी रास्ते को बंद कर दिया है । अतः

प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कदीमी रास्ते खसरा नंबर 922 व 923 को खुलवाया जावे तथ प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे की कदीमी रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करे तथा डी0एल0सी0 दर से रास्ते की राशि के आदेश प्रदान कर रास्ते के आदेश प्रदान करावे। अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 2.9.2020 द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 1017 में आवागमन हेतु खसरा नंबर 922 एवं 923 में से रास्ते के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 ने इस बात पर गौर नहीं किया कि रेस्पो0 संख्या 1/प्रार्थी ने राजनैतिक द्वैषतावश गरीब काश्तकार व्यक्ति को हैरान परेशान करने के उद्देश्य से झूंठा व मनगढ़त धारा 251–ए का प्रार्थना पत्र पेश किया है क्योंकि रेस्पो0 संख्या 1/प्रार्थी अपीलांट की आराजी पर आने जाने के लिए अपीलांटस की आराजी पर किसी प्रकार कोई रास्ता मौके पर न तो वर्तमान में है और ना ही पूर्व में था । रेस्पो0 संख्या 1 ने ने अपनी खातेदारी आराजी पर जाने के लिए मौके पर चालू रास्ते के खातेदारों को बिना पक्षकार बनाये व वर्तमान में जहां रास्ता है उक्त तथ्य छिपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है जिससे प्रार्थना पत्र अपूर्ण था । रेस्पो0 संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगती कर अपीलांट की अनुपस्थिति में पटवारी हल्का से मौके पर बिना गये मौका रिपोर्ट तैयार कर भौतिक स्थिति के विपरीत रिपोर्ट तैयार करवाकर भिजवाई है । उक्त एकपक्षीय मौका रिपोर्ट बाबत् अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष आपत्ति भी पेश कर निवेदन किया था कि रेस्पो0 संख्या 1/प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 1017 में आने जाने के लिए पुराने समय से मौके पर स्थित रास्ता खसरा नंबर 1016 व 1015 की मेड़ के सहारे सहारे खसरा नंबर 1022 तक पुराने समय से चला आ रहा है । खसरा नंबर 1022 राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज है मौके पर पक्की डामर की सड़क बनी हुई है जो ग्राम हिगतड़ा की आबादी से लगती हुई है । अधी0न्याया0 ने उक्त आपत्ति का निस्तारण किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 के कथनों में विरोधाभास है । एकतरफ तो प्रार्थी ने रास्ता मौके पर वर्षो से चालू होना बताया है वहीं दूसरी तरफ उक्त रास्ते को अपीलांटस द्वारा बंद करना बताया है । यदि रास्ता मौके पर चालू था जिसे बंद कर दिया गया है तो उक्त बंद रास्ते को खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 251 राज0काश्त0अधि0 तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये था ना कि अधी0न्याया0 के समक्ष । यह भी कथन किया कि प्रार्थी ने खसरा नंबर 753 तक जाने के लिये रास्ते का अनुतोष चाहा है जबकि खसरा नंबर 753 सिवायचक दर्ज होकर इस खसरों चारों और अन्य खातेदारों की आराजियात है जिन्हें भी प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 1/प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1017 में अपीलांटस की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 922 की उत्तरी मेड़ व खसरा नंबर 923 की दक्षिणी मेड़ से बने हुए

पुश्तैनी कदीमी रास्ते से आता जाता रहा है । इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 की आराजी पर आने जाने हेतु मौके पर नहीं है । प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की है । भू–अभिलेख निरीक्षक स्यार एवं पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 16.7.2020 में स्पष्ट अंकित किया है कि " खसरा नंबर 753 में से होकर जो रास्ता हीगतड़ा से पाँचिया की नीमड़ी तक जाता है वह खसरा नंबर 922 व 923 के लगवा है । खसरा नंबर 922 व 923 से यदि रास्ता दिया जाये तो खसरा नंबर 1017 के लिए सुविधाजनक होगा । उक्त रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि प्रार्थी घीसालाल वल्द छीतरदास कौम साधू पहले खसरा नंबर 923 एवं 922 में से होकर एक रास्ता खसरा नंबर 1017 तक जाता है में से होकर अपने खेत पर जाता था । वर्तमान में खसरा नंबर 922 व 923 के काश्तकारों ने मेड़बंदी करके खसरा नंबर 1017 पर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है । " उक्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 कदीमी समय से खसरा नंबर 922 व 923 से अपनी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1017 पर आता जाता रहा है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अप्रार्थीगण/अपीलांटस अधी0न्याया0 के समक्ष जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए । अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 16.3.2020 को तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की जिस पर तहसीलदार ने पत्र दिनांक 23.7.2020 द्वारा अधी0न्याया0 को मौका रिपोर्ट भिजवाई है। उक्त मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष मौका रिपोर्ट बाबत् आपत्ति प्रार्थना पत्र 31.7.2020 को पेश किया है । तत्पश्चात् पत्रावली वास्ते बहस आपत्ति हेतु नियत की गई किन्तु अधी0न्याया0 ने अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना अधी0न्याया0 ने दिनांक 20.8.2020 को बहस सुनकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 23.7.2020 के अवलोकन से यह कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा पक्षकारों को सूचित किया गया हो । उक्त रिपोर्ट से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि उक्त मौका रिपोर्ट प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 की मौजूदगी में एकपक्षीय रूप से तैयार की गई है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अपीलांट ने अपने अपीलमीमों में यह भी कथन किया है कि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने खसरा संख्या 922 व 923 से खसरा नंबर 753 तक रास्ते का अनुतोष चाहा है जबकि खसरा नंबर 753 राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होकर उसके चारों और अन्य खातेदारों की भूमि होने का कथन किया है। अपीलांटस का यह भी कथन रहा है कि खसरा नंबर 1017 में आवागमन हेतु खसरा नंबर 1016 व 1015 में रास्ता दिया जा सकता है जो कि खसरा नंबर 1022 डामर सड़क से लगता हुआ है तथा उक्त रास्ता लघुतम रास्ता होने का कथन किया है । तहसीलदार ने मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व अपीलांटस को सूचित नहीं कर केवल मात्र प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवाई है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है तथा उक्त एकपक्षीय मौका

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

रिपोर्ट के आधार पर पारित निर्णय को भी विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2.9.2020 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मौका रिपोर्ट के संबंध में उभयपक्ष को सूचित कर, तहसीलार द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट प्राप्त कर, मौका रिपोर्ट पर आपत्तियां आमंत्रित कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र को गुणावगुण पर निर्णित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 22.12.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर